न्यायालय अपर समाहर्ता, राँची

नामांतरण पुनरीक्षण वाद संख्या 07आर–15 / 07–08

रंथा भगत — पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

अगनी उराइन — प्रतिवादी

आदेश

14
21.01.2008

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील संख्या 50 आर –15 / 04–05 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर रॉची द्वारा दिनांक 27.02.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता की लगातार अनुपस्थिति के कारण अपील खारिज कर दिया है। यह अपील अंचल पदाधिकारी, माण्डर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 258 / 03–04 में दिनांक 25.03.2004 को पारित उस आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था जिसमे निम्नांकित जमीन का नामांतरण प्रतिवादी के नाम स्वीकृत किया गया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
चिगरी	38 / 16	860	1.05 एकड़
		820	0.20 ,,
		793	0.37 ,,
		740	0.51 ,,
		731	0.36 ,,
		732	0.31 ,,
		733	4.33 ,,
	43	463	0.24 ,,
		464	0.39 ,,
		465	1.37 ,,

1

204	418	0.46 ,,
194	375	0.57 ,,
165	855	0.98 ,,
	856	0.53 ,,
		कुल 8.67 एकड़

पुनरीक्षण आवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन की जमाबंदी एतवा भगत एवं गंदुरा भगत के नाम चल रही है। एतवा भगत की नाबल्द मृत्यु हो गयी। गंदुरा भगत की एकमात्र पुत्री अगनी उराइन है। एतवा भगत ने कोई संतान नहीं होने के कारण पुनरीक्षणकर्ता रंथा भगत को निबंधित गोदनामा के माध्यम से 25.02.1994 को अपनी संतान के रुप में गोद लिया तथा अपनी सम्पूर्ण जमीन दे दिया। प्रतिवादी अगनी उराइन का विवाह भी उसी गॉव के दुर्गा उरॉव के साथ कराया गया परन्तु कुछ ही दिनों बाद वह गुमला जिले के एक दूसरे व्यक्ति के साथ मजदूरी करने बंगाल चली गयी एवं एक साल तक वहॉ रही। इसके बाद वह 2005 में ग्राम चोरेया के अर्जुन उरॉव के पास रहने लगी और एक बच्चे को जन्म दिया। विवादित जमीन का एकमात्र वारिस या उत्तराधिकारी रंथा भगत है। प्रतिवादी ने उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जो स्वीकृत कर लिया गया। पुनरीक्षणकर्ता को इसकी जानकारी बाद में प्राप्त होने पर उसने भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर किया जिसे बिना सुनवाई किये खारिज कर दिया गया।

उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया है। अपीलकर्ता के लिखित बहस में कहा गया है कि विवादित जमीन एतवा टाना भगत की थी जो उसे टाना भगत कृषि भूमि वापसी अधिनियम 1947 के अंतर्गत टाना केस नं. 34 आर टीबी/1960–61 द्वारा वापस हुआ था

एवं दिनांक 23.03.1963 को दखल देहानी प्राप्त हुआ था। एतवा टाना भगत के कोई पुत्र नहीं रहने के कारण उसने पुनरीक्षणकर्ता को निबंधित गोदनामा वसीका के माध्यम से गोद लिया था। अंचल पदाधिकारी, माण्डर द्वारा गलत तरीके से प्रतिवादी के नाम दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है क्योंकि उरॉव समुदाय की परम्परा में लड़कियों को भू–सम्पत्ति पर हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

प्रतिवादी के लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता ने अपील दायर करने के बाद उसके निष्पादन में कोई अभिरुचि नहीं लिया जिसके कारण अपील खारिज हो गया। विवादित जमीन खतियान में प्रतिवादी के दादा के नाम दर्ज है जिनके दो पुत्र एतवा भगत एवं गन्दुरा भगत थे। एतवा भगत की 1988 में निःसंतान मुत्यु हो गयी तथा गंदुरा भगत की एकमात्र पुत्री प्रतिवादी है। अपीलकर्ता का यह दावा गलत है कि स्व. एतवा भगत द्वारा उसे गोद लिया गया था। वास्तव में अपीलकर्ता ग्राम कैम्बो में रहता है और वह प्रतिवादी का कोई सम्बन्धी भी नहीं है। वास्तव में वह दबंग व्यक्ति है और विवादित जमीन को हड़पना चाहता है। अंचल अधिकारी माण्डर द्वारा प्रतिवादी का विवादित भूमि पर दखल पाये जाने के बाद नामांतरण स्वीकृत किया गया है।

अभिलेख में उपलबध सभी दस्तावेजों एवं बहस के आलोक में स्पष्ट है कि अगनी उराईन का नामांतरण दखल कब्जा के आधार पर किया गया है जैसा कि कर्मचारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है। एतवा भगत नाबल्द मर गये और गन्दुरा भगत अपने बाद एकमात्र पुत्री अगनी उराईन को छोड़कर मरे जिसके नाम दाखिल खारिज हुआ है।

रिवीजनकर्त्ता का मुख्य दावा 1994 के गोदनामा दस्तावेज पर आधारित है जिसमें एतवा ने रन्था भगत को गोद लिया। लेकिन इसकी सम्पुष्टि और मान्यता देना वर्तमान न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। व्यवहार न्यायालय से ही स्वत्व घोषित किया जा सकता है।

रिवीजनकर्ता द्वारा अगनी उराईन के पुत्री होने पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया गया है लेकिन यह अवश्य कहा गया है कि उरॉव समाज में पुत्रियों का अचल सम्पत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं होता। इस प्रकार का निर्णय भी वर्तमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

उपरोक्त आधार पर रिवीजन अस्वीकृत किया जाता है। इस निर्णय से अपीलीय न्यायालय/निम्न न्यायालय एवं सम्बन्धित पक्षकारों को अवगत करावें।

दिनांकः— 21.01.2008

लेखापित एवं संशोधित

21/1/08

अपर समाहर्ता
रॉची।